

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.**  
**"कर-भवन" अजमेर**

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट-I/ 669

दिनांक : 31-01-2017

-: परिपत्र :-

विषय :- बैंकों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में।

1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 के द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों पर उनके सामने अंकित दर से स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। धारा 3 के अनुसार राजस्थान राज्य में निष्पादित दस्तावेजों के साथ-साथ राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित दस्तावेजों पर भी निम्नलिखित परिस्थितियों में स्टाम्प ड्यूटी देय है:-

- (i) यदि ऐसा दस्तावेज राजस्थान राज्य में स्थित किसी सम्पत्ति (चल या अचल) से संबंधित है या
- (ii) ऐसा दस्तावेज राजस्थान राज्य में की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही से संबंधित हो और
- (iii) ऐसा दस्तावेज राजस्थान राज्य में प्राप्त (Received) हो।

2. राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित किसी दस्तावेज पर राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अन्य राज्य में भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर राजस्थान राज्य में शेष स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

3. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों में से बैंकों द्वारा सामान्यतया निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेज तथा इन पर देय स्टाम्प ड्यूटी का विवरण निम्न प्रकार है :-

S. No.	Document Name	Related Article of Raj. Stamp Act, 1998	Stamp Duty payable
1	Acknowledgment	Art.1	Rs. 10/-
2	Affidavit	Art.-4	Rs. 50/- (w.e.f. from 08.03.16)
3	Agreement of Loan	Art.-5(d)	0.15% of Amount of Loan max. Rs. 10 lacs (w.e.f. 08.03.16)
4	General Agreement	Art.5(g)	Rs. 500/- (w.e.f. from 08.03.16)
5	Agreement relating to deposit of title deed, pawn or pledge	Art.-6	0.15% of Amount of Loan max. Rs. 10 lacs (w.e.f. 08.03.16)
6	Bank Guarantee	Art.-13A	0.25% max. Rs. 25000 /-
7	Renewal of BG executed on or after 09.03.15	Art.-13A Notification dated 08.03.16	0.25% max. Rs. 1000 /-
8	BG executed prior to 09.03.15	Art.-13A Notification dated 08.03.16	Rs. 1000 /-
9	BG renewal prior to 09.03.15	Art.-13A Notification dated 08.03.16	Rs. 100 /-
10	Further Charge (without possession)	Art.-30(b)(ii)	0.15% max. Rs. 10 lakh Notification no. F.4(6)FD/Tax/2016- 214 dated 08.03.16
11	Indemnity	Art.32	0.1% of the amount secured minimum Rs. 200/- Notification dated 21.03.98
12	Mortgage without possession	Art.-37(b)	0.15% max. Rs. 10 lakh
13	Debt assignment	Art.-21 As per notification dated 26.06.15	In respect of performing assets (standard assets) 0.15% of amount secured max. Rs. 5 lakh (effective from 09.03.15) vide notification date 26.06.15
14	Power of Attorney	Art.-44	i) General power of attorney (without sell power) - Rs. 100/- ii) with sell power - 2% of market value of property
15	Promissory Note	Art.-49 Indian Stamp Act	As applicable
16	Receipt	Art.-53 Indian Stamp Act	Rs. 1/-

4. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 (3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 16.12.1997 के द्वारा समस्त बैंक लोक कार्यालय घोषित हैं। लोक कार्यालय के नाते प्रत्येक बैंक का दायित्व है कि वह--

- उसके समक्ष अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (unduly Stamped) दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसको Impound कर कलक्टर (मुद्रांक) को स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु भेजे (धारा-37(4))।
- अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (unduly Stamped) दस्तावेज के आधार पर कोई कार्यवाही (Act Upon) नहीं करे (धारा-39)।

5. दस्तावेज के पक्षकार के रूप में प्रत्येक बैंक का दायित्व है कि वह कोई ऐसा दस्तावेज निष्पादित नहीं करे जिस पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया हो (धारा-17)। पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किये बिना दस्तावेज निष्पादित करना धारा-73 के अधीन एक अपराध है, जिसके लिए 5000/- रु. तक दण्ड का प्रावधान है।

6. लोक अधिकारी होने के नाते प्रत्येक बैंक का दायित्व है कि वह पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर हस्तलिखित, टंकित रिकार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित रजिस्ट्रों, पुस्तकों एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराये और निरीक्षण की मांग पर रिकार्ड का निरीक्षण कराये (धारा 85)। धारा-85 का उल्लंघन धारा-81 के तहत एक दण्डनीय अपराध है।

धारा-81 के तहत शास्तियाँ निम्नानुसार हैं--

- प्रथम उल्लंघन - 500/- रु. तक
- द्वितीय उल्लंघन - 1000/- रु. तक
- तृतीय एवं पश्चातवर्ती उल्लंघन- 2000/- तक एवं 2 वर्ष तक का कारावास

7. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39 के अनुसार अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (Unduly stamp) दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और न ही ऐसे दस्तावेज को सत्यापित या पंजीकृत किया जा सकता है और न ही ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई लोक अधिकारी कोई अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। इसी प्रकार पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार जिन दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है उनका पंजीयन नहीं कराने पर ऐसे दस्तावेज पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।


8. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार विक्रय, बंधक तथा सेटलमेन्ट के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए पक्षकारों द्वारा निष्पादित एक से अधिक दस्तावेजों में से केवल एक मुख्य दस्तावेज पर ही स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा शेष अन्य दस्तावेजों पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं होती है। कौनसा दस्तावेज मुख्य दस्तावेज है उसका निर्धारण पक्षकार कर सकते हैं लेकिन ऐसे निर्धारित दस्तावेज पर वह अधिकतम स्टाम्प ड्यूटी देय होगी जो ऐसे कई दस्तावेज में से किसी दस्तावेज पर देय हो।

9. इस प्रकार धारा-5 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों द्वारा जो संव्यवहार किया जा रहा है वह विक्रय (Sale), बंधक (Mortgage) या व्यवस्थापन (Settlement) ही हो और उसको पूर्ण करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज निष्पादित किए गए हों। धारा-5 का लाभ तभी प्राप्त होगा जब बैंक द्वारा अपने ऋण/उधार को प्रतिभूत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 37 में परिभाषित Mortgage के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज निष्पादित किए गए हों।

10. पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 59 के अनुसार जहां प्रतिभूत राशि 100/- रुपये या उससे अधिक हो तो Mortgage by deposit of title deeds को छोड़कर शेष सभी Mortgage के दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य है।

11. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Rachpal v. Bhagwandas, AIR 37 1950 SC 272, United Bank of India v. M/s. Lekharam Sonaram & Co., AIR 1965 SC 1591 तथा हाल ही में State Of Haryana & Ors vs Navir Singh & Anr सिविल अपील नं. 9030/2013 में दिनांक 7 October, 2013 को पारित निर्णय के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में Mortgage by deposit of title deeds (Equitable Mortgage) का पंजीयन अनिवार्य बताया है--

"It is essential to bear in mind that the essence of a mortgage by deposit of title-deeds is the actual handing over by a borrower to the lender of documents of title to immovable property with the intention that those documents shall constitute a security which will enable the creditor ultimately to recover the money which he has lent. But if the parties choose to reduce the contract to writing, this implication of law is excluded by their express bargain, and the document will be the sole evidence of its terms. In such a case the deposit and the document both form integral parts of the transaction and are essential ingredients in the creation of the mortgage. It follows that in such a case the document which constitutes the bargain regarding security requires registration under Section 17 of the Indian Registration Act, 1908, as a non-testamentary instrument creating an interest in immovable property, where the value of such property is one hundred rupees and upwards. If a document of this character is not registered it cannot be used in the evidence at all and the transaction itself cannot be proved by oral evidence either."



12. यदि बैंक द्वारा अपने ऋण/उधार को प्रतिभूत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 6 में परिभाषित Agreement relating to deposit of title deed (Equitable Mortgage) के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज निष्पादित किये जाते हैं तो धारा 5 का लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि Equitable Mortgage राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 37 में वर्णित mortgage में सम्मिलित नहीं है। अतः Equitable Mortgage के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए निष्पादित सभी दस्तावेजों पर उनके लिए निर्धारित दर से पृथक-पृथक स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। इस विषय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Madras Refineries Ltd vs Controlling Revenue Authority AIR 500, 1977 SCR (2) 565 में दिनांक 05 January 1977 को पारित निर्णय तथा मा0 मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा Jaika Automobiles Private... vs Joint District Registrar 2006(4) BomCR 452 में पारित निर्णय दिनांक 08 December, 2005 द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं।

उपरोक्त विषय के संबंध में अब तक जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ.7(1021)जन/3857-4293 दिनांक 01.03.02 (03/2002) को अपास्त किया जाता है।

(नन्मल पहाड़िया),

महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट-1/670-1330

दिनांक : 31-01-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
9. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडिशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने सभी सदस्य बैंकों को उपरोक्त परिपत्र की प्रति प्रसारित करते हुए परिपत्र में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।
10. राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के समस्त सदस्य बैंकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाइट [igrs.rajasthan.gov.in](http://igrs.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
13. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
14. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
16. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
17. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
18. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
19. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान-अजमेर